UGC APPROVED JOURNAL - 47746
INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण का विश्लोषणात्मक अध्ययन

समशाद अली

शोध छात्र, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ राजस्थान

सारांश

भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त पुराना है जो प्राचीन शहरी शिक्षा केन्द्रो ''नालन्दा'' तथा '' तक्षशिला'' से शुरू होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् समय परिवर्तन हुआ तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 नागरिकों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्याएँ व मुद्दे हैं जिनका समय रहते समाधान करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि स्वतन्त्रता के इतने वर्षो पश्चात् आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। माध्यमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार सम्बन्धी तथ्यों को जानने हेतु ही शोधकर्त्री ने उक्त विषय का चयन शोध कार्य हेतु किया है। प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोणों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से सम्बन्धित है। प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन हेतु कांठ विकास खण्ड मुरादाबाद (उ0 प्र0) के 3 शासकीय विद्यालयों तथा खुर्जा, बुलन्दशहर के 3 निजी विद्यालयों से कुल 100 (94 शिक्षकों व 6 प्राचार्यो) शिक्षकों व प्राचार्यो का चयन यादि्च्छक व सोद्देश्य न्यादर्शन चयन विधि द्वारा किया गया। ऑकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित दृष्टिकोण मापनी का प्रयोग किया गया। उक्त अध्ययन से अग्रलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नहीं हुआ।
2. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Keywords: मौलिक अधिकार, निजी व शासकीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा, विश्लेषणात्मक अध्ययन।

(1) भूमिका

भारत में शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है जो प्राचीन शहरी शिक्षा केन्द्रों ''तक्षशिक्षा तथा नालन्दा'' से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात् तो भारतीय समाज में पश्चिमी शिक्षा भी स्थापित हो गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 नागरिको को शिक्षा एक मौलिक अधिकर के रूप में प्रदान करता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास जारी है। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के तीन आयामों पर बल दिया गया–

(1) सार्वजनिक पहुँच तथा नामांकन

(2) 14 वर्ष की आयु तक सार्वजनिक ठहराव।

(3) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।

किसी भी देश की सुदृढ़ता उसकी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित होती है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता का अधिकार तथा गरिमामय उपस्थिति प्रदान करती है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है क्योकि इसी के द्वारा भावी पीढ़ियों को तैयार किया जाता है। संविधान लागू होने के इतने वर्षो बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने हेतु संसद द्वारा 86 वां सविधान संशोधन अधिनियम 2002 मे पारित किया गया। इसी के अन्तर्गत कक्षा 9–12 तक की माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकरों की श्रेणी में रखने के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनेकों समस्याएँ व गुद्दे है जिनका समय रहते समाधान तथा उन पर गहन चिन्तन करके नवीन पक्षों को सभी के समक्ष लाना अत्यन्त आवश्यक है।

उक्तविषय से सम्बन्धित उनके अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय शोध कार्य भी सम्पन्न हुए है। खान, रफीक (1977) ने 'सेकेण्डरी स्कूल लिन्कड विद कम्यूनिटी कन्ट्रोल' विषय पर कार्य करके यह पाया कि माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं नागरीय क्षेत्रों में असमानता बहुत अधिक है। कुमायूँ, प्रेम कुमार (1982) ने माध्यमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु 'शिक्षा के सार्वजनीकरण ' विषय पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि सरकारी प्रयासों व योजनाओं के साथ–साथ जन–सहभागिता की भी अति आवश्यकता हैं ।

महासैंस,टी0 ओ0 (1992) ने ''सेकेण्डरी कोर्स एण्ड हायर टर्न्स स्कीम' विषय पर शोध कार्य किया। एन0वी0 वर्गिस तथा मेहता, अरूण सी0 (1998) ने 'भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षाः वर्तमन स्थिति तथा भविष्य'' पर शोध कार्य किया। नारायण, इकबाल व अन्य (1974) ने ''पंचायती राज व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा का विकास तथा उसकी समस्याएँ'' सम्बन्धित विषय पर अध्ययन किया। प्राप्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि शोधकर्त्री को माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण से सम्बन्धित कोई भी अध्ययन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत अध्ययन को माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकर बनाने के प्रति निजी व शासकी विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण से सम्बन्धित किया गया है।

(2) **<u>अध्ययन के उद्देश्य–</u>** प्रस्ताविक अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए गए–

1. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।
2. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।
3. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।
4. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोणों का अध्ययन।
5. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकर बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन।

3. **परिकल्पना**–प्रस्तुत शोध हेतु निर्मित परिकल्पनाएँ इस प्रकार है–

1. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोणों मं सार्थक अन्तर नही है।
2. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोणों में सार्थक अन्तर नही है।

4. **प्रतिदर्श**– प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री द्वारा यादृच्छिक न्यादर्शन विधि का चयन किया है। प्रदत्त संकलन हेतु काँठ, विकास खण्ड मुरादाबाद (उ0 प्र0.) के 3 शासकीय विद्यालय तथा खुर्जा , बुलन्दशहर (उ0 प्र0) के 3 निजी विद्यालयों से कुल 100 (47 शासकीय विद्यालय शिक्षक +3 प्राचार्य =50 व 47 निजी विद्यालय शिक्षक + 3 प्राचार्य =50) का चयन यादि्दच्छक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल न्यादर्श 100 का प्राप्त किया गया। शोधकर्त्री द्वारा चयनित शासकी विद्यालयों का विवरण सारणी–1 में प्रस्तुत है

सारणी–1

प्रदत्त संकलन हेतु चयनित विद्यालय एवं न्यादर्श **योग–50**

क्र0 सं0	विद्यालय	शिक्षक महिला / पुरूष	प्राचार्य महिला / पुरूष	योग
1.	एस0एम0 जे0 ई0 सी. इन्टर कालेज, खुर्जा बुलन्दशहर	15	1	16
2.	ए0 के पी0इ0का0 खुर्जा बुलन्दशहर	12	1	13
	जे0एस0इ0का0 खुर्जा बुलन्दशहर	20	1	21
	योग	47	3	50

शोधकर्त्री द्वारा चयनित निजी विद्यालयों का विवरण सारणी–2 में प्रस्तुत है7

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

सारणी–2

प्रदत्त संकलन हेतु चयनित निजी विद्यालय एवं न्यादर्श योग–50

क्र0 सं0	विद्यालय	शिक्षक महिला / पुरूष	प्राचार्य महिला / पुरूष	योग
1.	श्रीमति सावित्री देवी लक्ष्मी चन्द्र सरस्वती विद्या मन्दिर सी0से0 खुर्जा बुलन्दशहर	22	1	23
2.	पब्लिक इ0 कालेज मीरपुर खुर्जा बुलन्दशहर	14	1	15
3	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल खुर्जा बुलन्दशहर	11	1	12
	योग	47	3	50

5. **शोध उपकरण**– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया। मापनी के निर्माण हेतु शोध निर्देशक, प्राध्यापकों तथा सहपाठियों के सहयोग से 50 से भी ज्यादा प्रश्नों को तैयार किया गया। विषय–विशेषज्ञों की सहायता से इन प्रश्नों को बार–बार छॉटा गया तथा अन्तिम रूप में प्रश्नावली को तैयार किया गया । इस प्रश्नावनली में 40 प्रश्नों को रखा गया तथा हॉ या नही में उत्तर प्राप्त किए गए। प्रतयेक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। उत्तरों की गणना के प्श्चात् माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति दृष्टिकोण को जॉचा गया। उक्त प्रश्नावली का प्रशासन शिक्षकों एवं प्राचार्यो दोनों पर किया गया।

6. **प्रदत्त संग्रह**– प्रस्तुत शोध कार्य में पद्रत्त संकलन हेतु सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। उक्त मापनी को शिक्षकों तथा प्राचार्यो पर प्रशासित कर उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्राप्तांक प्राप्त किए तथा इसके आधार पर सर्वप्रथम टैली फिर मध्यमान ज्ञात किया। इसी मध्यमान के आधार पर मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों व प्राचार्यो के दृष्टिकोण का ऑकलन किया गया।

7. **प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ**– प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त साांख्यिकीय विधियाँ इस प्रकार हैं–

1. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रदत्तों का विश्लेषण स्वनिर्मित मापनी द्वारा निर्धारित मानकों की सहायता से मध्यमान (M) तथा मानक विचलन (SD) द्वारा किया गया।

(A) $M = A.M + \left[\frac{\sum fd}{N}\right] \times i$ (B) $S.D = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times C.i$

2. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अध्ययन स्वनिर्मित मापनी द्वारा निर्धारित मानकों की सहायता से मानक विचलन त्रुटि (SE_D) तथा (t) प्राप्तांक द्वारा किया गया।

(A) दोनों समूहों के मध्यमान की मानक त्रुटि

$$SE_D = \sqrt{\frac{(O_1)^2}{N_1} + \frac{(O_2)^2}{N_1}}$$

(B) मध्यमानों के अन्तर की सार्थक भिन्नता

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SE_D}$$

(C) स्वंतन्त्रता अंश कोटि

$$DF = N_1 + N_2 - 2$$

3 **सार्थकता स्तर**– प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पनाओं का परीक्षण 0.05 तथा 0.01 स्तरों पर किया गया है।

8. **प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या–** प्रयुक्त विधियों एवं प्रविधियों के अनुसार संकलित ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं उनके परिणामों का आंकलन इस प्रकार है–

(1) प्रस्तुत अध्ययन का पहला उद्देश्य माध्ययिमक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना प्रस्तावित था जिसका सांखियकीय विश्लेष्ठया सारणी 3 में प्रस्तुत है

सारणी–3

निजी विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांको का मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन

$C.I$	f	x	d	d^2	fd	fd^2
33–35	10	34	+2	4	20	40
30–32	14	31	+1	1	14	14
27–29	10	28	0	0	0	0
24–26	10	25	−1	1	−10	10
21–23	3	22	−2	4	−6	12
$C.I = 3$	$N = 47$				$\sum fd = 18$	$\sum fd^2 = 84$

$$Mean = A.M + \left(\frac{\sum fd}{N}\right) \times i$$

$$= 28 + \left(\frac{18}{47}\right) \times 3$$

$$= 28 + 1.15$$

$$= 29.15$$

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$$

$$= \sqrt{\frac{84}{47} - \left(\frac{18}{47}\right)^2} \times 3$$

$$= \sqrt{1.79 - \frac{324}{2209}}$$

$$= \sqrt{1.79 - 0.15 \times 3}$$

$$= \sqrt{1.64 \times 3}$$

$$= 1.23 \times 3$$

$$= 3.84$$

2. प्रस्तुत अध्ययन का दूसरा उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति शासकीय विद्यालयों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना प्रस्तावित था। जिसका सांख्यिकीय विश्लेषण सारणी–4 में प्रस्तुत है–

सारणी–4

शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन

$C.I$	f	x	d	d^2	fd	fd^2
37–39	1	38	+2	4	2	4
34–36	1	35	+1	1	1	1
31–33	21	32	0	0	0	0
28–30	13	29	−1	1	13	13
25–27	11	26	−2	4	22	44
$C.I = 3$	$N = 47$				$\sum fd = 32$	$\sum fd^2 = 62$

$$Mean = A.M + \left(\frac{f + d}{N}\right) \times i$$

$$= 32 + \left(\frac{-32}{47}\right) \times 3$$

$$= 32 - 2.04$$

$$= 29.96$$

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2 \times i}$$

$$= \sqrt{\frac{62}{47} - \left(\frac{-32}{47}\right)^2 \times 3}$$

$$= \sqrt{1.32 - 0.46 \times 3}$$

$$= \sqrt{0.86 \times 3}$$

$$= 0.93 \times 3$$

$$= 2.78$$

दोनों समूहों के मध्यमान की मानक त्रुटि

$$(SE_D) = \sqrt{\frac{(\sigma_1)^2}{N_1} + \frac{(\sigma_2)^2}{N_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(3.84)^2}{47} + \frac{(2.78)^2}{47}}$$

$$= \sqrt{0.31 + 0.16}$$

$$= \sqrt{0.47}$$

$$= 0.69$$

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SE_D}$$

$$= \frac{29.96 - 29.15}{0.69}$$

$$= \frac{0.81}{0.69}$$

$$= 1.17$$

3. प्रस्तुत अध्ययन का तीसरा उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोणों के तुलनात्मक अध्ययन करना प्रस्तावित था। जिसका सांख्यिकीय विश्लेषण सारणी –5 में प्रस्तुत है–

सारणी–5

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन

शिक्षक	N	M	SD	SE_D	t	dt	सार्थकता स्तर
निजी	47	29.15	3.84	0.69	1.17	92	0.5 व 0.01 किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं
शासकीय	47	29.69	2.78				

अपेक्षित 'टी' मान 0.05 पर – 1.99

0.01 पर – 2.63

सारणी सं. 5 के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि निजी एवं शासकीय विद्यालय शिक्षकों के प्राप्तांकों के मध्यमान के अन्तर की सार्थक भिन्नता 't' का गणना मूल्य 1.17 है जो कि df 92 के दोनों विद्यमान स्तरों 0.05 व 0.01 के मानों 1.99 व 3.63 से कम है। अतः माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नही हुआ। इस आधार पर परिकल्पना –1 स्वीकृत होती है।

4. माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति प्रस्तुत अध्ययन का चौथा उद्देश्य निजी एवं शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना प्रस्तावित था। जिसका सांख्यिकीय विश्लेश सारणी–6 में प्रस्तुत है–

सारणी–6

निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो का मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन

क्र. स	शासकीय			क्र0 स0	निजी		
	p^1	d	d^2		p^2	d	d^2
1	32	2.67	7.13	1	34	4.67	21.81
2	29	–0.33	0.11	2	28	–1.33	1.77
3	27	–2.33	5.43	2	26	–.3.33	11.09
$N=3$	$M=29.33$		$\sum d^2=12.67$	$N=3$	$M=29.33$		$\sum d^2=34.67$

$M_1 = 29.33$ $M_2 = 29.33$

$d_1^2 = 12.67$ $d_1^2 = 34.67$

$N = 3$ $N = 3$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{12.67}{3}} \qquad = \sqrt{\frac{34.67}{3}}$$

$$= 2.05 \qquad = 3.40$$

$$SEd = \sqrt{\left(\frac{\sum d_1^2 + \sum d_2^2}{N_1 + N_2 - 2}\right)\left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{12.67 + 34.67}{3+3-2}\right)\left(\frac{3+3}{3\times 3}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{47.34}{4}\right)\left(\frac{6}{9}\right)}$$

$$= \sqrt{11.83 \times 0.67}$$

$$= \sqrt{7.93}$$

$$= 2.81$$

$$DF = N_1 + N_2 - 2$$

$$= 3+3-2$$

$$= 6-2$$

$$= 4$$

$$t = 0$$

5. प्रस्तुत अध्ययन का पाँचवा उद्देश्य माध्यमिक शिक्षण को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रस्तावित था जिसका सांख्यिकीय विश्लेषण सारणी –6 में प्रस्तुत है–

सारणी–6

माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

प्राचार्य	N	M	SD	SE_D	t	dt	सार्थकता स्तर
शासकीय	3	29.33	2.05	2.81	0	4	किसी स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं
निजी	3	29.33	3.40				

उपरोक्त तालिका के आवलोकन से यह ज्ञात होता है कि शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यो के प्राप्तांकों के मध्यमानों की सार्थक भिन्नता t व 0.01 के मानों 2.78 व 4.60 से कम है अतः शासकीय व

निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस आधार पर परिकल्पना–2 स्वीकृत की जाती है।

9. **निष्कर्ष**– इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति निजी व शासकीय विद्यालयो के शिक्षकों एवं प्राचार्यो के दृष्टिकोण का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। मात्र सवैधानिक प्रावधानों को लागू करने से शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन आने वाला नहीं है बल्कि शत–प्रतिशत साक्षरता के लिए निजी संगठनों सरकारी एवं सवैधानिक प्रयासो से जन–सहभागिता बढ़ाई जाए।

References

1) गुप्ता, एस0 पी, और अलका (2005), *'उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान'*, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।

2) लाल, रमन बिहारी (2004), *' शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार'*, मेरठः रस्तौगी पब्लिकेशन।

3) पाण्डेय, के0 पी0 (2003), *' शैक्षिक मनोविज्ञान की रूपरेखा'*, मेरठः अमित प्रकाशन।

4) राय, पारसनाथ (2008), *'अनुसंधान परिचय',* आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

5) Buch, M.B. (1983-1988) 'Fourth *Survery of Research in Education*, New Delhi: National council of Eduication Research and Training.

6) Singhal, R.K. (2005),*'Business statistics*, ' Meerut: Ajanta Publications.